मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

विरुद्ध

मनोज कुमार और अन्य

(2009 की सिविल अपील सं. 4437)

29 अगस्त, 2016

ए. के. सिकरी और आर. के. अग्रवाल, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी. आर. एस.) राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए वी. आर. एस. योजना- वी. आर. एस. योजना की शर्तों में से एक यह है कि एक बार वी. आर. एस. का विकल्प चुनने के आवेदन पत्र परस्तुत करने के बाद, आवेदक के लिए इसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी- 1 जुलाई, 2005 को शुरू की गई योजना 01 अगस्त, 2005 तक थी हालांकि, अक्टूबर, 2006 में योजना की वैधता 31 जुलाई, 2007 तक बढ़ा दी गई थी-उत्तरदाताओं-कर्मचारियों ने योजना के तहत निर्धारित मूल अवधि के भीतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन जमा किए-हालांकि, योजना की समाप्ति के बाद 1 अगस्त, 2005 के बाद निकासी के लिए अनुरोध-निकासी के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया और वीआरएस के लिए आवेदन स्वीकार कर लिए गए। चुनौती- माना गया: वी. आर. एस. योजना प्रकृति में संविदात्मक है और अनुबंध अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे-नियोक्ता द्वारा शुरू की गई वी. आर. एस. योजना को प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के रूप में माना जाएगा और इसके अनुसार कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एक प्रस्ताव है जो वास्तव में इस्तीफे के बराबर नहीं है और प्रस्ताव इस प्रकार वैधता अवधि के दौरान वापस लिया जा सकता है- यहां तक कि जब योजना में एक खंड है कि एक बार दिए गए प्रस्ताव को बिल्कुल भी वापस नहीं लिया जा सकता है, तो इस सिद्धांत का अपवाद यह

है कि ऐसे मामलों में प्रस्ताव को योजना की वैधता अवधि के दौरान वापस लिया जाना है और उसके बाद भी नहीं जब इसे योजना की अवधि के दौरान स्वीकार नहीं किया जाता है-तथ्यों पर, कर्मचारी अपने प्रस्ताव को उस तारीख से पहले वापस ले सकते हैं जिस दिन प्रारंभिक योजना समाप्त हो गई थी-1 अगस्त, 2005 और इसके बाद वापसी की अनुमति नहीं थी-1 अगस्त, 2005 और 12 अक्टूबर, 2006 के बीच एक बड़ा अंतर/अंतराल था-02 अगस्त, 2005 से 11 अक्टूबर, 2006 तक कोई वी. आर. एस. योजना लागू नहीं थी।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने माना:

1.1 ऐसे मामलों में जहां योजना संविदात्मक प्रकृति की है (और वैधानिक प्रकृति की नहीं है), अनुबंध अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। नियोक्ता द्वारा जारी की गई वी. आर. एस. योजना को प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के रूप में माना जाएगा और इसके अनुसार कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एक प्रस्ताव है जो वास्तव में इस्तीफे के बराबर नहीं है और प्रस्ताव को वैधता अवधि के दौरान वापस लिया जा सकता है। यह स्थिति तब भी होगी जब वहाँ योजना में एक खंड है कि एक बार दिए गए प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जा सकता है। हालाँकि, इस सिद्धांत का अपवाद यह है कि ऐसे मामलों में प्रस्ताव को योजना की वैधता अवधि के दौरान वापस लिया जाना है और उसके बाद नहीं, भले ही इसे योजना की अवधि के दौरान स्वीकार नहीं किया गया हो। ऐसी योजनायें वित्त पोषित योजनाएँ है और और प्रत्येक कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के लिए समय दिया जाता है। क्योंकि ये वित्त पोषित योजनाएं हैं, प्रबंधन को एक कोष बना आवश्यक है। इस निधि का निर्मान कई अन्य प्रयोगों पर निर्भर करता है, योजना की लागत, दायित्व जो यह योजना नियोक्ता और ऐसे अन्य परिवर्तनीय कारकों पर लागू होगी। इस स्थियति में, यदि कर्मचारियों को योजना बंद होने के बाद भी किसीभी समय इससे हटने की अनुमति दी जाती है, तो

योजना पर काम करना सनभव नहीं होगा क्योंकि नियोक्ता का सभी गणनायें विफल हो जायेंगी। [पैरा 20] [245-जी-एच; 246-ए, बी-डी]

1.2 निगम ने इस योजना को इस कारण से शुरू किया था कि उसने परिवहन व्यवसाय को लगभग बंद कर दिया है और इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या को कम करके खुद को लाभान्वित करना था क्योंकि परिवहन व्यवसाय के लिए ऐसे कर्मचारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना में प्रावधान किया गया है कि एक बार विकल्प देने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि इस खंड के बावजूद, कर्मचारियों को वैधता अवधि के दौरान प्रस्ताव वापस लेने का अधिकार था, लेकिन उसके बाद नहीं। इस कानूनी सिद्धांत पर उच्च न्यायालय द्वारा भी विवादित फैसले में ध्यान दिया जाता है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा है कि हालांकि यह योजना 1 अगस्त, 2005 तक वैध थी, लेकिन वैधता 31 जुलाई, 2007 तक बढ़ा दी गई थी, कर्मचारी 31 जुलाई, 2007 से पहले अपने प्रस्ताव वापस ले सकते थे। इसके अलावा, इन सभी मामलों की तरह जहां 31 जुलाई, 2007 से पहले प्रस्ताव वापस ले लिया गया था, वहां उच्च न्यायालय ने निगम की अपीलों को खारिज कर दिया है। [पैरा 21] [246- डी-जी]

1.3 यह योजना पहली बार 1 जुलाई 2005 को शुरू की गई थी। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस योजना का विकल्प चुनने के इच्छुक लोग 1 अगस्त, 2005 तक अपने विकल्प देंगे, न कि इसके बाद। यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि 1 अगस्त, 2005 के बाद प्रस्तुत विकल्प के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पैरा 4 (iii) में यह भी प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी द्वारा एक बार दिए गए विकल्प को बदलने या वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैरा 4 के उप पैरा (viii) में ऐसी योजना की स्वीकृति पर कर्मचारी के बकाया के निपटान का प्रावधान किया गया है। यह योजना 1 अगस्त, 2005 को समाप्त हो गई। इसकी प्रचलन के

दौरान या उसके तुरंत बाद भी योजना का कोई विस्तार नहीं किया गया था। इसके एक वर्ष से अधिक समय के बाद, यानी 12 अक्टूबर, 2006 को, अपीलकर्ता निगम ने उन लोगों को 28 अक्टूबर, 2006 तक विकल्प जमा करने के लिए एक और अवसर दिया जिन्होंने पहले आवेदन आवेदन जमा नहीं किया था। 12 अक्टूबर, 2006 का आदेश, पहले ब्लश में, यह धारणा दे सकता है कि 1 अगस्त, 2005 की प्रारंभिक तिथि 28 अक्टूबर, 2006 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, वर्णित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की थोड़ी करीबी जांच और विश्लेषण से पता चलता है कि यह मूल योजना के विस्तार का मामला नहीं है। कारण सरल है और इस तथ्य में पाया जा सकता है कि 1 अगस्त, 2005 और 12 अक्टूबर, 2006 के बीच एक बड़ा अंतर/अंतराल था। पहले की योजना 1 अगस्त, 2005 को समाप्त हो गई थी, स्वाभाविक रूप से इस योजना के तहत 1 अगस्त, 2005 के बाद कोई भी कर्मचारी आवेदन जमा नहीं कर सकता था या आवेदन जमा नहीं कर सकता था। 02 अगस्त, 2005 से 11 अक्टूबर, 2006 तक कोई वी. आर. एस. योजना लागू नहीं थी। 12 अक्टूबर, 2006 को ही बाकी कर्मचारियों को अपने आवेदन जमा करने का एक और अवसर दिया गया था और जिस अवधि के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए इस तरह का आवेदन जमा किया जा सकता था, वह12 अक्टूबर, 2006 से 28 अक्टूबर, 2006 तक थी। यह छोटी सी खिड़की उन कर्मचारियों के लिए 17 दिनों की अवधि के लिए खोली गई थी जिन्होंने अपने आवेदन जमा नहीं किए थे और उन्हें आवेदन करने का एक और मौका दिया गया था। साथ ही, इसका मुख्य कारण ऐसे और अधिक कर्मचारियों को वी. आर. एस. का विकल्प चुनने के लिए आकर्षित करना था क्योंकि निगम ने अपने कार्यों को बंद करने का फैसला किया था और चाहता था कि उसके कर्मचारी 'गोल्डन हैंडशेक' के साथ सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलें। इसलिए, निगम की प्रस्तुतियों में एक सहमति और तीक्ष्णता है कि इसे पिछली योजना के विस्तार के रूप में नहीं माना जा सकता है। वास्तव में, वी. आर.

एस. योजना को फिर से लागू करने के बजाय, एक विशेष खंड में संशोधन करके आसान तरीका पाया गया कि 28 अक्टूबर, 2006 के बाद प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि 1 अगस्त, 2005 और 12 अक्टूबर, 2006 के बीच कई कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए थे और उनमें से कई को उनके अंतिम बकाया की पेशकश भी की गई थी। इस प्रकार, कर्मचारियों के दो अलग-अलग समूह हैं जिन्होंने अपना वी. आर. एस. हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। पहला समूह वह था इस विकल्प का 1 जुलाई, 2005 से 1 अगस्त, 2005 के बीच प्रयोग किया था। कर्मचारियों का दूसरा समूह वे हैं जिन्होंने 12 अक्टूबर, 2006 से 28 अक्टूबर, 2006 तक एक और मौका दिए जाने पर अपने विकल्प प्रस्तुत किए। इसे ध्यान में रखते हुए, जहां तक कर्मचारियों के पहले समूह का संबंध है, वे अपने विकल्प को स्वीकार किया जाने से पहले, 1 अगस्त, 2005 तक वापस ले सकते हैं और उसके बाद नहीं। इसी तरह, वे जिन्होंने दूसरे चरण में अपने विकल्प प्रस्तुत किए थे, वे 28 अक्टूबर, 2006 से पहले इसे वापस ले सकते थे। इन अपीलों में विभिन्न कर्मचारी/उत्तरदाताओं द्वारा जमा किए गए आवेदनों की स्थिति बताते हुए एक चार्ट प्रस्तुत किया गया था। यह चार्ट इंगित करता है कि पहले समूह के कुछ कर्मचारियों ने 1 अगस्त, 2005 से पहले अपनी पेशकश वापस ले ली थी। उन्हें ऐसा करने का अधिकार था। वापस लेने के बाद उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई परिणाम नहीं होगा। हालांकि, उन कर्मचारियों को जिन्होंने 1 अगस्त, 2005 के बाद प्रस्ताव वापस लिया था, वो ऐसा नहीं कर सकते थे और इसलिए निगम को उनके प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार था। इसी तरह, दूसरी श्रेणी के वे कर्मचारी जिन्होंने 28 अक्टूबर, 2006 से पहले अपने प्रस्ताव वापस ले लिए थे, वे अपने प्रस्तावों को वापस लेने के हकदार थेः क्योंकि उन्हें उस तारीख तक स्वीकार नहीं किया गया था। हालाँकि, 28 अक्टूबर, 2006 के बाद जब योजना बंद

कर दी गई थी, तब वापसी का कोई परिणाम नहीं होगा। [पैरा 23] [247-ए-एच; 248-ए-ई]

1.4 जब उक्त परीक्षण को इस मामले के तथयों पर लागू किया जाता है तो यह पाया जाता है कि जहाँ तक उन कर्मचारियों का सवाल है जो पहली श्रेणी में आते हैं, 2016 का सी.ए. संख्या 83721 में प्रतिवादी संख्या 1 को छोडकर उन्होनें 01 अगस्त 2005 के बाद अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया था। इसलिये इस बैच से केवल वह बकाया वेतन के साथ बहाली का हकदार है क्योंकि उसने इस न्यायालय के 12 मई, 2016 के आदेश के संदर्भ में इस आशय का एक शपथ पत्र भी दायर किया, वह प्रासंगिक अवधि के दौरान लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं है। इसी तरह, 2016 की सिविल अपील संख्या 8366 में दोनों उत्त्रदाताओं को छोडकर, दूसरी श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों ने 28 अक्टूबर, 2006 के बाद अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया। हालाँकि, ये प्रतिवादी 12 मई, 2016 के इस न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहे। इसलिए, वे बिना बकाया वेतन के बहाली के हकदार हैं। [पैरा 24] [248- एफ-जी]

1.5 अन्य सभी उत्तरदाताओं के मामले में, योजना की अवधि के बाद वापिसी के लिये उनका आवेदन का कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए, इन उत्तरदाताओं/कर्मचारियों को बहाल करने का उच्च न्यायालय का निर्देश कानून के विपरीत पाया जाता है और इसे रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 25] [249-ए-बी]

बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम ओ.पी. स्वर्णकार आदि 2002 (5) पूरक एस.सी आर. 438 (2003) 2 एस.सी सी 721; स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम रोमेश चंद्र कानौजी और अन्य 2004(2) एस.सी आर 615: (2004) 2 एस. सी. सी. 651; भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम रमेश कुमार 2007 (8) एससीआर 940: (2007) 8 एस. सी. सी. 141; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रघुवीर सिंह

नारंग और एक अन्य 2010 (4) एससीआर 299 : (2010) 5 एस. सी. सी. 335; स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम जग्गा सिंह (2004) 2 एससीसी 201; भारतीय खाद्य निगम

& अन्य बनाम रमेश कुमार 2007 (8) एससीआर 940: (2007) 8 एस. सी. सी. 141; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रघुवीर सिंह नारंग और अन्य 2010 (4) एससीआर 299: (2010) 5 एस. सी. सी. 335- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2002 (5) पूरक। एससीआर 438	संदर्भित किया गया	पैरा 8
2004 (2) एससीआर 615	संदर्भित किया गया	पैरा 9
2010 (4) एससीआर 299	संदर्भित किया गया	पैरा 12
2007 (8) एससीआर 940	संदर्भित किया गया	पैरा 12
(2004) 2 एस. सी. सी 201	संदर्भित किया गया	पैरा 17
2007 (8) एससीआर 940	संदर्भित किया गया	पैरा 18
2010 (4) एससीआर 299	संदर्भित किया गया	पैरा 19

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4437/2009

2006 की रिट अपील संख्या 1269 में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार जबलपुर, मध्य प्रदेश के 27.07.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

के साथ

2009 की सी. ए. सं. 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446 और 2016 का सी. ए. सं. 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377 और 8378

सुश्री जयश्री वाड, आशीष वाड, सुश्री परोमिता मजूमदार, सुश्री जया खन्ना, मैसर्स जे. एस. वाड एंड कंपनी, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

मिश्रा सौरभ, सुनील सिंह पी., प्रशांत कुमार, श्रीमती के. शारदा देवी, सुश्री प्रतिभा जैन, बी. एस. बंथिया, अशोक माथुर, के. एन. मधुसूदनन, टी. जी. नारायणन नायर, एस. के. सभरवाल, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुश्री मंजीत कृपाल, बी. एस. राजेश अग्रजीत, सुश्री ज्योति राणा, श्यामल के., वी. के. झा, संजय कुमार पाठक, राकेश कुमार, समदर्शन संजय, विश्वजीत सिंह, राजन के. चौरसिया, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

ए. के. सिकरी, न्यायाधिपति

1. विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी जाती है।

2. अपीलार्थी मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में, 'निगम') मध्य प्रदेश राज्य का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और मध्य प्रदेश राज्य के भीतर और बाहर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। चूंकि अपीलकर्ता निगम घाटे में चल रहा था, इसलिए राज्य सरकार ने सडक परिवहन और राजमार्ग विभाग, जहाजरानी, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अपीलकर्ता निगम को बंद करनेकी अनुमति प्राप्त की थी। यह अनुमति भारत सरकार द्वारा23 मार्च, 2005 को निम्नलिखित निर्देशों के साथ दी गई थी:

> "राज्य सरकार एम. पी. आर. टी. सी. से संबंधित किसी भी वर्तमान/भविष्य के मामलों में न्यायाधिकरण सहित विभिन्न

न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। राज्य सरकार को एम. पी. एस. आर. टी. सी. के कर्मचारियों का हित भी सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।"

3. निगम को बंद करने पर विचार करते हुए, प्रबंध निर्देशक ने, एस. नं. 1452 (कर्मिक-2) स्था-बी/2005, आदेश संख्या 28 के माध्यम से, निगम के कर्मचारियों के लिए सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नामक एक योजना (के लिए संक्षिप्त, 'वी. आर. एस.') शुरू की। उक्त योजना को 1 जुलाई, 2005 से लागू होना था। तत्काल अपीलों के उद्देश्य के लिए, संबंधित खंड, इस प्रकार हैः

"4. योजनाः (i) सभी उम्मीदवारों-कर्मचारियों को इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के फॉर्म (क) में 1.8.2005 तक फॉर्म (ख) के साथ अपना विकल्प देने की अनुमति होगी। नामंकन फॉर्म भी भरना होगा। प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह लिखित में दिये गए कारणों के आधार पर, लेकिन आवेदक को कोई कारण बताये बिना, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, जिसके खिलाफ़ किसी अपील, राहत का कोई प्रावधान निहित नहीं होगा।

(ii) निम्नलिखित मामलों में, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प प्राप्त होने पर, योग्यता के आधार पर, विचार के लिए निर्णय लिया जाएगाः

(क) क्या निगम के संबंधित कर्मचारी के खिलाफ, प्रशासनिक कार्रवाई या तो लंबित है या 'अनुध्यात' है।

(ख) जहाँ, किसी आपराधिक न्यायालय में, कोई कार्यवाही लंबित है, या किसी भी न्यायालय में, पहले से ही प्रक्रिया में है।

(ग) कर्मचारी, जिसने सामान्य रूप से निगम की सेवा से त्याग पत्र दिया है, या दिया है।

(घ) कर्मचारी, जिसने निगम के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू की है, या चल रहा है, और जब तक कि अदालत द्वारा ऐसी कार्रवाई को अस्वीकार या समाप्त नहीं किया जाता है।

(ख) विकल्प के लिए आवेदन दिनांक 1.8.2005 के बाद प्रस्तुत किया गया।

(iii) योजना के तहत कर्मचारी द्वारा एक बार दिये गये विकल्प को बदलने या वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) प्रबंधन, एक बार स्वीकार करके, कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवा से सेवानिवृत्ति जिसके बारे में इस संबंध में कर्मचारी ने सूचित किया है, तो वह अनुबंध पर या अन्यथा राज्य सरकार, या निगम की सेवा में, या उसकी संलग्न कंपनी में, सक्रिय कंपनियां, यानी इस योजना में कर्मचारी, लोक सेवा में, जैसा कि परिभाषित किया गया है, की सेवा में रोजगार का हकदार नहीं होगा।

XX XX XX

उक्त योजना के खंड 4 (ii) के अनुसार, विकल्प दिनांक 1.8.2005 तक दिया जाना था। दोसरे शब्दों में वी आर एस योजना का विकल्प चुनने या चेनने के लिये एक माह का समय दिया गया था।

आदेश के खंड 4 (ii) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि "योजना के तहत, कर्मचारी द्वारा एक बार दिए गए विकल्प को बदलने या वापस लेने की अनुमति नहीं होगी"

4. यह उपरोक्त योजना के प्रावधानों से स्पष्ट हो जाता है, इसमें कुछ शर्तें और एक विशिष्ट प्रपत्र भी प्रदान किया जिसमें योजना के तहत वी. आर. एस. के लिए आवेदन/विकल्प किया जाना था। इसके अलावा, वी. आर. एस. योजना में एक शर्त यह थी कि एक बार वी. आर. एस. चुनने के लिए आवेदन पत्र जमा करने के बाद, यह आवेदक के लिए इसे वापस लेने के लिए खुला नहीं होगा। इस योजना को 1 जुलाई, 2005 को खुला घोषित किया गया था और यह 1 अगस्त, 2005 तक चलने वाली थी। इस स्तर पर यह भी कहा जा सकता है कि हालांकि इस वी. आर. एस. योजना में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है, 12 अक्टूबर, 2006 को मूल योजना के कुछ प्रावधानों में संशोधन करते हुए एक आदेश पारित किया गया था, जिसे दिनांकित 1 जुलाई, 2005 आदेश संख्या 28 के माध्यम से जारी किया गया था। अनिवार्य रूप से, केवल एक संशोधन किया गया था, अर्थात् आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2006 तक बढ़ा दी गई थी। मूल योजना के अन्य प्रावधानों/शर्तों को अपरिवर्तित रहना था। इस संशोधन के साथ, जिन कर्मचारियों ने पहले निर्धारित तिथि, यानी 1 अगस्त, 2005 तक योजना के तहत विकल्प नहीं चुना था, उन्हें वी. आर. एस. के लिए अपना विकल्प देने का एक और अवसर प्रदान किया गया। जैसा कि, इसके बाद ध्यान दिया जाएगा कि, एक तर्क यह है कि क्या कोई नई योजना लागू की गई थी या यह पिछली योजना का विस्तार था। यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मूल योजना के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त, 2005 थी और योजना उस तारीख को समाप्त हो गई थी। 'विस्तार' बहुत बाद दिया गया है, यानी 12 अक्टूबर, 2006 को। इस प्रकार, 02

अगस्त, 2005 से 11 अक्टूबर, 2006 तक कोई योजना लागू नहीं थी। इस प्रकार, इस तर्क पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और उपयुक्त स्थान पर आवश्यक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए , हम यहाँ 12 अक्टूबर, 2006 का आदेश पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे जिसके द्वारा समय 28 अक्टूबर, 2006 तक बढ़ा दिया गया था। वही नीचे पढ़ा गया हैः

" क्र. स. 1919/कर्मिक / एक/ स्वै. से. नि./06 तिथि 12.10.2006

आदेश

विषयः आदेश संख्या 28 (सेवा योजना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 2005) -के संबंध में।

प्रबंधक निर्देशक द्वारा पैरा 4 (ii) में पार्ट का, खा जारी आदेश संख्या 28 में विकल्प देने के लिए (ज्ञात) अंतिम तिथि01.08.2005 के रूप में है। राज्य सरकार द्वारा विचार के बाद और सहमति के बाद इस अनुच्छेद में निम्नानुसार संशोधन किया गया हैः

"(के. एन. ए.) विकल्प के लिए आवेदन दिनांक 28.10.06 "के बाद प्रस्तुत किया गया"

2. सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 2005 के संबंध में प्रबंध निदेशक के आदेश संख्या 28 के माध्यम से जारी किए गए शेष प्रावधान/शर्तें पहले की तरह ही होंगी।

3. वे कर्मचारी जिनके द्वारा पूर्व में इस योजना के तहत विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया था और अब इस योजना के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे प्रबंध निदेशक आदेश संख्या 28 की शर्तों के तहत वी. आर. एस. के बारे में विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

एसडी /

प्रबंध निदेशक "

5. इन सभी अपीलों में उत्तरदाताओं/कर्मचारियों ने योजना के तहत निर्धारित मूल अवधि यानी 1 जुलाई, 2005 और 01 अगस्त, 2005 के बीच स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। इन सभी अपीलों में अन्य सामान्य बात यह है कि उनके आवेदन स्वीकार किए जाने से पहले, उन्होंने अपने विकल्प को वापस लेने की मांग की थी। हालांकि, विकल्पों को वापस लेने का अनुरोध 1 अगस्त, 2005 के बाद किया गया था, यानी मूल योजना की समाप्ति के बाद। हालाँकि, वापस लेने के उनके अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया और इसके विपरीत इन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत वी. आर. एस. के लिए आवेदन स्वीकार कर लिए गए। यह बहुत स्पष्ट करने के लिए, हम स्पष्ट करते हैं कि यह इन उत्तरदाताओं द्वारा वी. आर. एस. योजना के तहत अपने विकल्पों को वापस लेने के लिए अपने हलफनामे जमा करने के बाद हुआ था। तदनुसार, इन उत्तरदाताओं को 31 जुलाई, 2005 की दोपहर को संगठन से राहत मिली।

6. इन उत्तरदाताओं ने उपरोक्त कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि एक बार जब उन्होंने वी. आर. एस. के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया था, तो वी. आर. एस. के विकल्प के साथ आगे बढ़ने और उसे स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए निगम की कार्रवाई अनुचित और कानून के विपरीत थी। इन सभी कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और निगम की उपरोक्त कार्रवाई को चुनौती देते हुए संबंधित रिट याचिकाएं दायर कीं।

7. इन रिट याचिकाओं को चुनौती देते समय, निगम का कहना था कि वी. आर. एस. योजना में निहित विशिष्ट प्रावधान के अनुसार, इन कर्मचारियों के अपने आवएदन वापिस लेने के अधिकारों, यदि कोई हो, पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक स्पष्ट निषेधात्मक खंड था और इसलिये इन उत्तरदाताओं की ओर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

लेने के उनके विकल्प को वापस लेना महत्वहीन था और निगम को वी. आर. एस. के लिए आवेदन स्वीकार करके आगे बढ़ने का अधिकार था।

8. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निगम की याचिका को स्वीकार करते हुए इन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह माना गया कि वी. आर. एस. को वापस लेने के लिए आवेदन केवल योजना की वैधता अवधि के भीतर ही भेजे जा सकते हैं और उन मामलों में जहां निकासी के लिए आवेदन 1 अगस्त, 2005 के बाद जमा किए गए थे, यह संबंधित कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जा सकता था। पीड़ित कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपील दायर की गई। डिवीजन बेंच ने विवादित फैसले के माध्यम से इन सभी अपीलों का एक साथ फैसला किया और उन्हें यह मानते हुए अनुमति दी कि यह कर्मचारी के लिए वी. आर. एस. के तहत विकल्प को स्वीकार करने से पहले उसे वापस लेना हमेशा अनुमत है। न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि विकल्प की मांग करने वाली ऐसी वी. आर. एस. योजना प्रस्ताव देने का निमंत्रण है। इस योजना के तहत चयन करने वाले एक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एक अधिकारी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बराबर है और केवल कर्मचारी द्वारा इस तरह के प्रस्ताव की स्वीकृति पर, एक सौदा समाप्त हो जाता है और इसलिए, इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले हमेशा वापस लिया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए, उच्च न्यायालय ने बैंक ऑफ इंडिया एंड अन्य बनाम ओ. पी. स्वर्णकार आदि में इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया 'और निम्नानुसार निष्कर्ष निकालाः

> "14. कानून के उपरोक्त उच्चारण से, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक कर्मचारी द्वारा दिया गया प्रस्ताव वास्तव में त्यागपत्र के बराबर नहीं होगा और प्रस्ताव को वैधता अवधि के दौरान वापस लिया जा सकता है। विद्वान सिंगल जज, जैसा कि समझा जा सकता है, ने

कुछ रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है और कुछ रिट याचिकाकर्ताओं को औद्योगिक कानून के तहत निवारण की मांग की है क्योंकि यह योजना 1.8.2005 तक वैध थी। इस मोड़ पर, यह उल्लेख करना उचित है कि विद्वान एकल द्वारा निकाला निष्कर्ष पर इस संबंध में न्यायाधीश को दोषी नहीं पाया जा सकता है क्योंकि निर्णय देने के समय विचाराधीन योजना 1.8.2005 तक वैध थी। वर्तमान में, यह योजना 31.7.2007 तक वैध है। उक्त तथ्य पर निगम के विद्वान वकील श्री शोभित आदित्य ने कोई विवाद नहीं किया है। चूंकि योजना की वैधता अवधि बढ़ा दी गई है, इसलिए उक्त वैधता योजना की शुरुआत की तारीख से संबंधित होगी और यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच न्यायिक संबंध समाप्त हो गए हैं। इसलिए, कर्मचारी कानूनी रूप से वैधता अवधि के भीतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अपने विकल्प को वापस लेने के हकदार थे और चूंकि वैधता अवधि बढ़ा दी गई है और उन्होंने अपना विकल्प वापस ले लिया है, इसलिए उन्हें सेवा में माना जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाए कि किसी भी अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किसी भी प्रकार का लाभ स्वीकार नहीं किया है। उनमें से कुछ सेवा में बने हुए हैं। जो कर्मचारी सेवा में बने हुए हैं, उन्हें कानून के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच न्यायिक संबंध समाप्त होने तक काम जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अपीलार्थी जो सेवा में नहीं हैं, उन्हें सेवा में बहाल किया जाना चाहिए और वे सभी परिणामी लाभ प्राप्त करेंगे।"

9. ओ. पी. स्वर्णकार में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी वी. आर. एस. योजना को प्रकृति में संविदात्मक माना जाता है। इस प्रकार, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधान लागू होंगे, जो प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रस्ताव को उसकी स्वीकृति से पहले वापस लिया जा सकता है। तथापि, निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि योजना के विशिष्ट खंड को ध्यान में रखते हुए ओ. पी. स्वर्णकार के निर्णय का उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रभाव से पालन नहीं किया जाना चाहिए था कि एक बार दिए गए आवेदन को वापस नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम रोमेश चंदर कनोजी और अन्य में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के जनादेश की अनदेखी की जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "9. हम उपरोक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। यह महत्वपूर्ण है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विचाराधीन योजनाएं मूल रूप से वित्त पोषित योजनाएं हैं। ऐसी योजनाओं के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के लिए समय दिया जाता है और इसी तरह प्रबंधन को योजना तैयार करने के लिए समय दिया जाता है। एस. बी. पी. वी. आर. एस. के खंड (5) ने कर्मचारियों को योजना का विकल्प चुनने के लिए पंद्रह दिनों का समय दिया और खंड (8) के तहत प्रबंधन को योजना तैयार करने के लिए दो महीने की अवधि दी जाती है। चूंकि उक्त योजनाएं वित्त पोषित योजनाएं हैं, प्रबंधन को एक कोष बनाने की आवश्यकता होती है। कोष का निर्माण आवेदन; योजना की लागत; देयता जो योजना बैंक पर लगाएगी और

ऐसे अन्य परिवर्तनीय कारकों पर निर्भर करेगा। यदि कर्मचारियों को योजना बंद होने के बाद किसी भी समय योजना से बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है, तो तैयार करना संभव नहीं होगा क्योंकि प्रबंधन की सभी गणनाएँ विफल हो जाएंगी। बैंक ऑफ इंडिया बनाम ओ. पी. स्वर्णकार [(2003) 2 एस. सी. सी. 721: 2003 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 200] के मामले में एस. बी. आई. वी. आर. एस. को पेशकश करने के लिए एक निमंत्रण माना जाता है। उक्त निर्णय के बाद, हम मानते हैं कि एस. बी. पी. वी. आर. एस. प्रस्ताव देने का निमंत्रण है न कि प्रस्ताव। उक्त एस. बी. पी. वी. आर. एस. के खंड (5) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि यह योजना 15-2-2001 से 1-3-2001 की अवधि के दौरान खुली रहेगी, जबकि इसके नियम 8 में प्रबंधन द्वारा स्वीकृति के तरीके का प्रावधान है। यह नियम 5 और 8 के आलोक में है कि किसी को खंड (9) (i) पढ़ना होगा जो सामान्य शर्तों के लिए प्रावधान करता है और जिसके तहत यह प्रदान किया जाता है कि एक बार आवेदन करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है। चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स में (28 वां संस्करण, पी। 125), विद्वान लेखक का कहना है किः

"प्रस्ताव स्वीकार किए जाने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। यह कि यह नियम लागू होता है भले ही प्रस्तावकर्ता ने एक निर्दिष्ट समय के लिए प्रस्ताव को खुला रखने का वादा किया हो, क्योंकि इस तरह का वादा विचार द्वारा असमर्थित होता है।"

इसलिए, एस. बी. पी. वी. आर. एस. का खंड (5) कर्मचारी को 1-3-2001 तक वापसी निकासी करने के लिए को लोकस पोएनिटेंशिया देता है जिसके बाद एस. बी.

पी. वी. आर. एस. के खंड (8) द्वारा अनुध्यात स्वीकृति लागू होगी और बैंक आवेदनों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, बैंक को अपनी देनदारी का पता लगाने के लिए समय चाहिए; एक अलग निधि के निर्माण की लागत का पता लगाना आवश्यक है जो बदले में आवेदनों की संख्या पर निर्भर करता है और यदि कर्मचारियों को बंद होने की तारीख के बाद वापसी की अनुमति दी जाती है तो बैंक के लिए योजना को लागू करना असंभव होगा। इसलिए, खंड (5) कर्मचारी को 1-3-2001 तक वापसी करने के लिए समय देता है और बैंक को स्वीकृति के निर्दिष्ट तरीके को पूरा करने के लिए उसके बाद दो महीने का समय दिया जाता है (इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून, चौथा संस्करण देखें, पी 133) . खंडों (5), (8) और (9) (i) को पढ़ना, यह स्पष्ट है कि1-3-2001 पर योजना के बंद होने के बाद कर्मचारियों को एस. बी. पी. वी. आर. एस. से वापस लेने से रोक दिया गया है।

10. उस आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि उत्तरदाताओं को 1 अगस्त, 2005 के बाद अपना आवेदन वापस लेना खुला नहीं था, जो आवेदन में निर्धारित अंतिम तिथि थी और इस तरह आवेदनों की संख्या, योजना की लागत, योजना द्वारा लगाए जाने वाले दायित्व और अन्य परिवर्तनीय कारकों आदि के आधार पर बनाए गए कोष के संतुलन और निर्माण में बाधा आती है। यह भी तर्क दिया गया कि ओ. पी. स्वर्णका में निर्णय र राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामलों के समूह से संबंधित थे जहां तथ्य और प्रश्न अलग-अलग थे। महत्वपूर्ण अंतर यह था कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक को बंद नहीं किया गया था, जो निगम द्वारा वी. आर. एस. योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था।

11. दूसरा तर्क, वैकल्पिक में, यह था कि भले ही ओ. पी. स्वर्णकार में निर्णय लागू किया जाना है, यह विशेष रूप से उस मामले में अभिनिर्धारित किया गया था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प को अंतिम तिथि तक वापस लिया जा सकता है जिस पर आवेदन जमा किया जाना है। तत्काल मामले में, इन विकल्पों को निर्धारित तिथि

के बाद वापस लिया गया था। यह बताया गया कि उच्च न्यायालय ने इस याचिका को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि चूंकि अंतिम तिथि 1 अगस्त, 2005 से बढ़ाकर 28 अक्टूबर, 2006 कर दी गई थी और वापस लेने के लिए आवेदन उक्त तिथि से जमा नहीं किए गए थे, इसलिए वापस लेने के आवेदनों को योजना में उल्लिखित समाप्ति तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया माना जाएगा। निगम के विद्वान वरिष्ठ वकील ने उत्साह के साथ तर्क दिया कि यह उच्च न्यायालय की ओर से एक गलत दृष्टिकोण था क्योंकि मूल 1 जुलाई, 2005 के आदेश संख्या 28 के माध्यम से घोषित वी. आर. एस. योजना में योजना के विस्तार के लिए किसी भी खंड का उल्लेख नहीं किया गया था और एक बार इन कर्मचारियों ने उक्त योजना का विकल्प चुना तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से सूचित किया गया कि अंतिम तिथि 1 अगस्त, 2005 है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि संशोधन विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया था, अर्थात्, उन लोगों के लिए अवसर जिन्होंने अभी तक योजना के तहत विकल्प नहीं चुना था और इसलिए, तारीख में इस तरह का विस्तार उन लोगों के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं हो सका जिन्होंने पहले ही विकल्प चुना था और जिनके लिए अंतिम तिथि 1 अगस्त, 2005 थी।

12. इन अपीलों में प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने कहा कि कानून की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी जैसा कि ओ. पी. स्वर्णकार और यहां तक कि रोमेश चंदर कनोजी में भी कहा गया था जिस पर निगम द्वारा भरोसा किया गया था, और इस अदालत को विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्वीकार करने के लिए एक उत्साही याचिका दायर की। उन्होंने यह भी बताया कि रोमेश चंदर कनोजी जिसे वास्तव में ओ. पी. स्वर्णकार में विशेष रूप से उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया, तीन न्यायाधीश न्यायपीठ का निर्णय था। यह भी तर्क दिया गया कि इसके बाद भी ओ. पी. स्वर्णकार के सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा लगातार लागू किया गया है और समर्थन में निम्नलिखित निर्णय उद्धृत किए गए हैंः

(i) भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम रमेश कुमार

(ii) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. रघुवीर सिंह नारंग और एक अन्य।

13. शुरुआत में, हम इस हस्तगत मुद्दे पर आवश्यक चतुराई के साथ, विभिन्न कानूनी सिद्धांतों को समेकित करना उचित समझते हैं, जो विभिन्न निर्णयों में दिए जाते हैं, और फिर उन सिद्धांतों को इन मामलों में तथ्यों पर लागू करते हैं। यद्यपि बहुत कानूनी मामला सामने आया है, कुछ निर्णयों का संदर्भ, जो पहले के मामलों को भी ध्यान में रखते हैं, पर्याप्त होगा। चूँकि उच्च न्यायालय ने ओ. पी. स्वर्णकार के मामले में निर्णय का उल्लेख किया है, इसलिए हम उस निर्णय के साथ चर्चा शुरू करना उचित समझते हैं, जो उन चार निर्णयों में से सबसे पहला है जिनका हम उल्लेख करने जा रहे हैं।

14. ओ. पी. स्वर्णकार में, जो इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया एक निर्णय था, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक अपीलकर्ता थे और इन बैंकों से संबंधित मामलों के समूह का निर्णय लिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक और बैंकिंग कंपनियों के तहत अधिग्रहण किए गए अन्य बैंक (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 को वर्ष 2000 में अलग से अपनाया गया था, लेकिन इसी तरह की योजनाओं को "कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना" के रूप में जाना जाता है। उन अपीलों में शामिल सवाल यह था कि क्या उक्त योजनाओं के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी को उस प्रस्ताव को वापस लेने से रोक दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई गई योजना अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजना से अलग थी, क्योंकि उस योजना में 15 फरवरी, 2001 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदनों को वापस लेने की अनुमति दी। उक्त योजना उन कर्मचारियों के संबंध में लागू थी जिन्होंने आवेदन की

तारीख को 15 वर्ष की सेवा या 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी। जिस अवधि के दौरान उक्त योजना को चालू रहना था, वह बैंक-दर-बैंक अलग-अलग थी। हालाँकि, पंजाब नेशनल बैंक के मामले में, उक्त योजना 1 नवंबर, 2000 से 30 नवंबर, 2000 तक चालू रहने वाली थी। उक्त योजना के पैरा 10.5 ने एक कर्मचारी को एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किए गए अनुरोध को वापस लेने से रोक दिया। पैरा 10 के अन्य उप-पैरा में यह प्रावधान किया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी जिनके पास स्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा या उस अनुरोध को अस्वीकार कर दें। उक्त योजना ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की। कई कर्मचारियों ने अपने आवेदन जमा किए, जिनमें से कुछ कर्मचारियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। उनके प्रस्ताव को वापस लेने के बावजूद, इसे स्वीकार कर लिया गया। कुछ मामलों में, प्रस्तावों को वापस लेने के बावजूद, योजना की संचालन अवधि समाप्त होने के बाद स्वीकार कर लिया गया था। कर्मचारियों के आवेदनों की वापसी के बावजूद बैंकों द्वारा उनकी स्वीकृति को चुनौती देने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की गईं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त योजना की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। कुछ रिट याचिकाकर्ताओं ने संबंधित बैंकों को योजना के संदर्भ में सख्ती से उनके कानूनी बकाया भुगतान करने के लिए परमादेश आदेश जारी करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने कहा किः (i) उक्त योजना अधीनस्थ विधान का एक वैध टुकड़ा नहीं था क्योंकि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 (1) और 19 (4) को लागू नहीं किया गया था।, (ii) यह मानते हुए भी कि उक्त योजना वैध है, इसे स्वीकृत होने और प्रभावी रूप से लागू होने से पहले एक कर्मचारी के लिए अपने विकल्प को वापस लेने के लिए खुला था, (iii) चूंकि योजना अमान्य थी, इसलिए इस

योजना के तहत किसी भी लाभ की मांग करने वाली रिट याचिकाओं में कोई राहत नहीं दी जा सकती थी। बम्बई उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त योजना का खंड 10.5, प्रभावी नहीं था क्योंकि कर्मचारियों को इसे स्वीकार किये जाने से पहले अपने प्रस्ताव को वापस लेने का एक अक्षम्य अधिकार था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन वापस नहीं लेने की शर्तों से खुद को बाध्य करता है।

15. अन्य पहलुओं पर चर्चा को टालते हुए जो इन मामलों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, जहां तक वर्तमान मुद्दे का संबंध है, न्यायालय ने कहा कि यह योजना सभी कर्मचारियों को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ऐसी योजना, हालांकि संयोग से कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से बैंकों के लिए फायदेमंद थी। इस तरह की योजना बनाने का अंतिम उद्देश्य और उद्देश्य इस उद्देश्य के बैंकों के प्रभावी संचालन के लिए था ताकि वे निजी बैंकों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें। दूसरी ओर, न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि हालांकि बैंक कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह 'दर्जा' प्राप्त नहीं है, फिर भी, वे अपने रोजगार की सुरक्षा का आनंद लेते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीयकृत बैंक संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' थे। इसलिए बैंक कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए उन्हें काम पर रखने और नौकरी से निकालने का सहारा नहीं ले सकते हैं। उन्हें इसके लिए निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में निष्पक्ष और सख्ती से कार्य करने की आवश्यकता है। इस संबंध में उनके कार्यों को अनुच्छेद 14 और 21 की कसौटी को पूरा करना चाहिए। इससे आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि रोजगार का अनुबंध भी अनुबंध का एक विषय है और जहां तक यह सवाल है कि क्या वी. आर. एस. योजना एक प्रस्ताव/प्रस्ताव था या केवल प्रस्ताव देने का निमंत्रण अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न

है। न्यायालय ने आगे 'प्रस्ताव' और स्वीकृति से संबंधित कानून पर इस टिप्पणी के साथ चर्चा की कि इसे सरल रूप में नहीं कहा जा सकता है। तथापि, वी. आर. एस. के संदर्भ में न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालकर अनुबंध के इस कानून को लागू कियाः

(i) बैंक कर्मचारियों के आवेदन को एक प्रस्ताव के रूप में मानते थे जिसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता था।

(ii) इस तरह के प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाना आवश्यक था।

(iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई अधिकारियों की ओर से मन का उपयोग शामिल है।

(iv) निर्णय लेने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर बनाई जाती थी।

(v) एक कर्मचारी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने की प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी का विवेकाधिकार में थी।

(vi) स्वैच्छिक सेवानिवृति का अनुरोध वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में प्रभावी होगा।

(vii) बैंक ने योजना की शर्तों को बदलने/रद्द करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा।

इस प्रकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने योजना के संदर्भ में र स्वयं और अपने कर्मचारियों के बीच न्यायिक संबंध से निपटने का एक निरंकुश और अनियंत्रित अधिकार सुरक्षित कर लिया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह योजना एक प्रस्ताव के लिए निमंत्रण का गठन करती है न कि एक प्रस्ताव का। एक फोरटियोरारी के रूप में, एक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को कर्मचारी के प्रस्ताव/प्रस्ताव के रूप में माना जाना था, और जब बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह भारतीय अनुबंध अधिनियम,

1872 की धारा 2 (बी) के अर्थ के भीतर एक 'वादा' का गठन करता है और तभी वादा लागू करने योग्य हो जाता है।

इस सादृश्य पर, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि कर्मचारियों ने अपना प्रस्ताव स्वीकार किए जाने से पहले वापस ले लिया था, इसलिए उन्हें ऐसा करने का अधिकार था।

हालांकि, अदालत ने पाया कि भारतीय स्टेट बैंक का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि उसने वी. आर. एस. योजना में संशोधन नहीं किया था और यहां तक कि 15 फरवरी, 2001 तक आवेदन वापस लेने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई योजना में खंड (7) शामिल था जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन पर विचार करने का तरीका और तरीका निर्धारित किया गया था और इस खंड ने एक प्रवर्तनीय अधिकार सृजित किया। न्यायालय ने कहा कि यदि भारतीय स्टेट बैंक अपनी पसंदीदा नीति का पालन करने में विफल रहता है, तो इसे बाद में न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता था और इसलिए यह कुछ प्रतिफल के बराबर होगा। इस आधार पर, जहां तक भारतीय स्टेट बैंक की अपीलों का संबंध है, उन्हें अनुमति दी गई थी, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपीलों को खारिज कर दिया गया था। इस निर्णय के निम्नलिखित अंश निर्धारित कानूनी सिद्धांत के सार को दर्शाते हैंः

> "113. विद्वान महान्यायवादी का यह निवेदन कि जैसे ही किसी कर्मचारी द्वारा कोई प्रस्ताव दिया जाता है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह योजना एक निश्चित अवधि के लिए लागू थी। प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता थी और जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक नियोक्ता और कर्मचारी का न्यायिक संबंध बना रहा और संबंधित कर्मचारी सभी वेतन और भत्तों आदि के

भुगतान के हकदार होते। इस प्रकार यह ऐसा मामला नहीं कहा जा सकता है जहां प्रस्ताव प्रेजेंटी में दिया गया था, लेकिन यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संभावित प्रकृति का होगा कि यह बाद की तारीख में लागू हुआ था और वह भी नियोक्ता द्वारा स्वीकार किए जाने के अधीन है। इसलिए, हमारी राय है कि, इस न्यायालय का निर्णय, जैसा कि यहाँ पहले निर्दिष्ट किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू होगा-

114. हालांकि, यह स्वीकार किया जाता है कि कर्मचारियों के एक समूह ने अनुग्रह राशि स्वीकार की। जिन्होंने अनुग्रह राशि का भुगतान या योजना के तहत कोई अन्य लाभ स्वीकार किया, हमारी सुविचारित राय में, वहाँ से पुनर्स्थापित नहीं हो सकता था।

115. यह योजना संविदात्मक प्रकृति की है। इसलिए, संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त संविदात्मक अधिकार को माफ किया जा सकता है। लाभ के एक हिस्से को स्वीकार करने वाले संबंधित कर्मचारियों को अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही उन्हें अपने पहले के रुख से पीछे हटने की अनुमति दी जाए वे कर सकते हैं।"

16. अगला निर्णय, कालक्रम में, जिसका हम उल्लेख करना चाहते हैं, रोमेश चंदर कनोजी का मामला है। यह भी एक वह निर्णय है जिसे तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्धारित किया था जिसमें ओ. पी. स्वर्णकार में निर्धारित सिद्धांत को विशेष रूप से संदर्भित किया गया था और चर्चा की गई थी। ओ. पी. स्वर्णकार में निर्धारित सिद्धांत को समझाया गया और जहां तक भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक के परिणामों

का संबंध है इस प्रक्रिया में अदालत ने अलग ध्यान दिया। इस भेद को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तरीके से सामने लाया गया और समझाया गया:

> "6. एस. बी. आई. वी. आर. एस. के मामले में ऊपर से यह स्पष्ट है कि, जहां वापसी के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है, कर्मचारी को निर्दिष्ट समय के भीतर अपने विकल्प का उपयोग करना चाहिए; और राष्ट्रीयकृत बैंक के मामले में, जहां निकासी का कोई प्रावधान नहीं था (और वास्तव में योजना वापसी को प्रतिबंधित करती है), वापसी बैंक द्वारा स्वीकृति से पहले प्रभावी होनी चाहिए। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के संदर्भ में, कर्मचारी को एस. बी. आई. वी. आर. एस. के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापसी का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है।
>
> इसके बाद न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम जग्गा सिंह में इस न्यायालय के अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी थी और योजनाएं समान थीं, इसलिए ओ. पी. स्वर्णकार में लिया गया निर्णय, जहां तक भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है, पटियाला स्टेट बैंक पर भी लागू होगा। इस मामले में कर्मचारियों की ओर से पेश वकील ने जग्गा सिंह में अंतर करने की मांग की। हालाँकि, इस तर्क को खारिज कर दिया गया था और प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन पर एक नज़र डालने की आवश्यकता है। इस प्रकार, इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"9. हम उपरोक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि विचाराधीन योजनाएं मूल रूप से वित्त पोषित योजनाएं हैं। ऐसी योजनाओं के तहत प्रत्येक कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के लिए समय दिया जाता है और इसी तरह प्रबंधन को योजना तैयार करने के लिए समय दिया जाता है। एस. बी. पी. वी. आर. एस का खंड (5) कर्मचारियों को योजना का विकल्प चुनने के लिए पंद्रह दिनों का समय देता है और खंड (8) के तहत प्रबंधन को योजना तैयार करने के लिए दो महीने की अवधि दी जाती है। चूंकि उक्त योजनाएं वित्त पोषित योजनाएं हैं, प्रबंधन को एक कोष बनाने की आवश्यकता होती है। कोष का निर्माण आवेदन; योजना की लागत; देयता जो योजना बैंक पर लागू करेगी और ऐसे अन्य परिवर्तनीय कारकों पर निर्भर करेगा। यदि कर्मचारियों को योजना के बंद होने के बाद किसी भी समय योजना से बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है, तो योजना पर काम करना संभव नहीं होगा क्योंकि प्रबंधन की सभी गणनाएँ विफल हो जाएंगी। बैंक ऑफ इंडिया के मामले में बनाम ओ. पी. स्वर्णकार [(2003) 2 एस. सी. सी. 721: 2003 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 200] एस. बी. आई. वी. आर. एस. को पेशकश करने के लिए एक निमंत्रण माना जाता है। उक्त निर्णय के बाद, हम मानते हैं कि एस. बी. पी. वी. आर. एस. एक पेशकश निमंत्रण है। और प्रस्ताव नहीं। उक्त एस. बी. पी. वी. आर. एस. के खंड (5) में अन्य बातों के साथ कहा गया है कि योजना 15-2-2001 से 1-3-2001 की अवधि के दौरान योजना खुली रहेगी जबकि इसके नियम 8 में प्रबंधन द्वारा स्वीकृति के तरीके का

प्रावधान है। यह नियम 5 और 8 के आलोक में है कि किसी को खंड (9) (i) पढ़ना होगा जो सामान्य शर्तों का प्रावधान करता है और जिसके तहत यह प्रदान किया जाता है कि एक बार किया गया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता है। चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स में (28 वां संस्करण पी। 125), विद्वान लेखक का कहना है कि-

"प्रस्ताव स्वीकार किए जाने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। यह कि यह नियम लागू होता है भले ही प्रस्तावकर्ता ने एक निर्दिष्ट समय के लिए प्रस्ताव को खुला रखने का वादा किया हो, इस तरह का वादा प्रतिफल द्वारा असमर्थित होता है"।

इसलिए, एस. बी. पी. वी. आर. एस. का खंड (5) इस कर्मचारी को 1-3-2001 तक निकासी करने के लिए लोकस पोएनिटेंशिया देता है जिसके बाद एस. बी. पी. वी. आर. एस. के खंड (8) द्वारा अनुध्यात स्वीकृति लागू होगी और बैंक आवेदनों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बैंक को अपनी देनदारी का पता लगाने के लिए समय चाहिए एक अलग निधि के निर्माण की लागत जो बदले में आवेदनों की संख्या पर निर्भर करती है और यदि कर्मचारियों को बंद होने की तारीख के बाद इसे वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो बैंक को योजना को लागू असंभव होगा। इसलिए, खंड (5) कर्मचारी को 1-3-2001 तक निकासी करने के लिए समय देता है और बैंक को उसके बाद दो महीने का समय दिया जाता है ताकि निर्धारित स्वीकृति का तरीका को पूरा किया जा सके (इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून, चौथा संस्करण देखें।, पी। 133) . खंड (5), (8) और (9) (i) को पढ़कर यह स्पष्ट होता है कि1-3-2001 को योजना बंद होने के बाद कर्मचारियों को एस. बी. पी. वी. आर. एस. से वापस लेने से रोक दिया गया है।

18. उपरोक्त दो निर्णय राष्ट्रीयकृत बैंकों या भारतीय स्टेट बैंक/उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित थे। इस मुद्दे पर भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम रमेश कुमार के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सनब्न्ध में फिर से चर्चा की गई। उक्त मामले में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाई गई वी. आर. एस. योजना का खंड VIII (डी) निम्नलिखित प्रभाव से थाः

> "एक बार जब कोई कर्मचारी इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करता है, तो इसे अंतिम माना जाएगा और कर्मचारी के लिए इसे वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी सूचना अवधि (3 महीने) के भीतर अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेगा और संबंधित अधिकारी को सूचित करेगा। तथ्यों पर, यह पाया गया कि कर्मचारी द्वारा दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले वापस ले लिया गया था। अदालत ने कहा कि ओ. पी. स्वर्णकार और रोमेश चंदर कनोजी का अनुपालन करते हुए ऐसा किया जा सकता था। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 8 के अंतर्गत इस स्थिति पर चर्चा की गई है:
>
> "8. अब खाद्य निगम की वर्तमान योजना की ओर इशारा करते हुए, पैरा 8 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पदधारी को इसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है और प्रबंधन तीन महीने के भीतर इसका फैसला करेगा। इसका मतलब है कि प्रबंधन के पास अभी भी विचार करने और यह तय करने के लिए तीन महीने का समय है कि उसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाए या नहीं। लेकिन यदि पदधारी

निगम द्वारा इसे स्वीकार करने से पहले अपने प्रस्ताव को रद्द कर देता है, तो उस मामले में, प्रस्ताव रद्द हो गया है और निगम उस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में एक और अतिरिक्त कारक है जो यह है कि प्रबंधन को तीन महीने के भीतर निर्णय लेना है। इसलिए, एक बार जब पदधारी द्वारा तीन महीने से पहले निरसन किया जाता है, तो उस स्थिति में निगम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक कि इसे निरसन के पहले स्वीकार नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि पदधारी ने 13-9-2004 कोस्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया था और वह 27-9-2004 पर उसके प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया लेकिन उसे 9-11-2004 को यानी उसके प्रस्ताव को रद्द करने के बाद स्वीकार कर लिया गया। इस न्यायालय द्वारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला [(2004) 2 एस. सी. सी. 6512004 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 428] में निर्धारित कानून को देखते हुएः पदधारी ने स्वीकार किए जाने से पहले ही अपने प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। इसलिए, मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पदधारी द्वारा सेवानिवृत्ति के अपने प्रस्ताव पर किये गये निरसन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उसने निगम द्वारा उस पर कार्रवाई करने से पहले ही इसे रद्द कर दिया है। इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है। नतीजतन, तीनों अपीलें खारिज की जाती हैं लेकिन लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना।"

19. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रघुवीर सिंह नारंग और अन्य में इस न्यायालय ने फिर से दोहराया कि ऐसी योजनाएं संविदात्मक प्रकृति की थीं और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधान लागू होंगे और प्रस्ताव को स्वीकृति के लागू होने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 22 में ओ. पी. स्वर्णकार में निर्धारित सिद्धांतों को हटा दिया है, जिन्हें हम नीचे पुनः प्रस्तुत करते हैं:

"22. स्वर्णकार में निर्णय के प्रभाव को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है:

(i) यदि कोई संविदात्मक योजना यह प्रावधान करती है कि कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति केवल नियोक्ता द्वारा इसकी स्वीकृति पर लागू होगी, तो यह कर्मचारी में एस. वी. सेवानिवृत्ति का दावा करने के लिए कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनाएगी। ऐसी योजना में कोई भी शर्त कि कर्मचारी एक बार उपयोग किए जाने के बाद विकल्प से पीछे नहीं हटेगा, बिना किसी प्रतिफल के एक समझौता होगा और इसलिए, अमान्य होगा। नतीजतन, कर्मचारी स्वीकृति से पहले प्रस्ताव को वापस ले सकते हैं (जो विकल्प प्रयोग किया जाता है)। लेकिन यदि संविदात्मक योजना किसी कर्मचारी को योजना के संदर्भ में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का विकल्प देती है और यदि कोई शर्त नहीं है कि यह केवल कर्मचारी द्वारा स्वीकृति पर प्रभावी होगी, तो विकल्प के प्रयोग किये जाने पर, कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृति का अधिकार देती है। ऐसी स्थिति में, संविदात्मक योजना में एक प्रावधान कि कर्मचारी एक बार किये गये विकल्प को वापिस लेने का अधिकारी नहीं होगा, वैध और बाध्यकारी होगा और इसके परिणामस्वरूप एक कर्मचारी व्यायामित विकल्प को वापिस लेने कस अधिकारी नहीं होगा।

(ii) जहां योजना चरित्र में वैधानिक है, वहां इसकी शर्तें अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों और अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों पर हावी होंगी। इसके अलावा, इस योजना में किसी भी 'प्रतिफल' की शर्त का कोई सवाल नहीं होगा कि कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। योजना की वैधता को चुनौती देते हुए, वैधानिक योजना की शर्तें संबंधित कर्मचारियों पर बाध्यकारी होंगी, और एक बार जब किसी कर्मचारी द्वारा योजना में निहित सेवानिवृत्ति पैकेज के संदर्भ में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का विकल्प प्रयोग किया जाता है, तो कर्मचारी से वापस लेने का अधिकार नहीं होगायदि इस तरह की निकासी के खिलाफ कोई प्रतिबंध है तो।

20. उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उन मामलों में जहां योजना संविदात्मक प्रकृति की है (और वैधानिक रूप में नहीं जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक के मामले में देखा गया था), भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। नियोक्ता द्वारा जारी की गई वी. आर. एस. योजना को प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के रूप में माना जाएगा और इसके अनुसार कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एक प्रस्ताव है जो वास्तव में इस्तीफे के बराबर नहीं है और प्रस्ताव को वैधता अवधि के दौरान वापस लिया जा सकता है। यह स्थिति तब भी होगी जब योजना में एक खंड हैहै कि जो प्रस्ताव एक बार दिया गया हो, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। हालांकि, इस सिद्धांत का अपवाद यह है कि ऐसे मामलों में प्रस्ताव को योजना की वैधता अवधि के दौरान वापस लिया जाना है और उसके बाद नहीं भले ही इसे योजना की अवधि के दौरान स्वीकार नहीं किया जाता है। यह रोमेश चंदर कनोजी का स्पष्ट जनादेश है। इस अपवाद को तराशने के लिए जो तर्क दिया गया है, वह उक्त निर्नय के अनुच्छेद 9 में निहित है, जिसे पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है। सटीक शब्दों में कहें तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि ऐसी योजनाएं वित्त पोषित योजनाएं हैं और प्रत्येक कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के लिए समय दिया जाता है

क्योंकि ये वित्त पोषित योजनाओं के लिए प्रबंधन को एक कोष बनाने की आवश्यकता होती है। इस निधि का निर्माण कई आवेदनों पर निर्भर करता है; योजना की लागत; देयता जो यह योजना नियोक्ता पर लगाएगी और ऐसे अन्य परिवर्तनीय कारक। इस स्थिति में, यदि कर्मचारियों को योजना बंद होने के बाद भी किसी भी समय योजना से बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है, तो योजना पर काम करना संभव नहीं होगा क्योंकि नियोक्ता की सभी गणनाएँ विफल हो जाएंगी।

21. वर्तमान मामले में निगम ने यह योजना इस कारण से शुरू की थी कि इसने परिवहन व्यवसाय को लगभग बंद कर दिया है और योजना का उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या को कम करके खुद को लाभान्वित करना था क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के लिए परिवहन व्यवसाय की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी, योजना ने प्रदान किया कि एक बार विकल्प दिए जाने पर, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। उपरोक्त निर्णयों में दिए गए निर्देश के बाद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट है कि इस खंड के बावजूद, कर्मचारियों को वैधता अवधि के दौरान प्रस्ताव वापस लेने का अधिकार था, लेकिन उसके बाद नहीं। इस कानूनी सिद्धांत पर उच्च न्यायालय द्वारा भी विवादित फैसले में ध्यान दिया जाता है।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा है कि हालांकि यह योजना 1 अगस्त, 2005 तक वैध थी, लेकिन वैधता 31 जुलाई, 2007 तक बढ़ा दी गई थी, कर्मचारी 31 जुलाई, 2007 से पहले अपने प्रस्ताव वापस ले सकते हैं। इसके अलावा, इन सभी मामलों में जहां 31 जुलाई, 2007 से पहले प्रस्ताव वापस ले लिया गया था, उच्च न्यायालय ने निगम की अपीलों को खारिज कर दिया है।

22. इसलिए, इस मोड़ पर, अन्य मुद्दे जो महत्व प्राप्त करते हैं और जिस पर निर्नय लेने की आवश्यकता है वह हैः क्या योजना की वैधता 31 जुलाई, 2007 तक

बढ़ा दी गई थी और कर्मचारी इस तारीख या उस तारीख से पहले अपने प्रस्ताव को वापस ले सकते थे जिस दिन प्रारंभिक योजना समाप्त हो गई थी, यानी 1 अगस्त, 2005 और उसके बाद निकासी की अनुमति नहीं थी?

23. इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए, आइए हम कुछ मुख्य तथ्यों को दोहराते हैं। इस योजना को पहली बार 1 जुलाई, 2005 को शुरू किया गया था। इसमें स्पष्ट रोप से उल्लेख किया गया था किइस योजना का विकल्प चुनने के इच्छुक लोग 1 अगस्त, 2005 तक अपने विकल्प देंगे, उसके बाद नहीं। इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि 1 अगस्त, 2005 के बाद प्रस्तुत विकल्प के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पैरा 4 (iii) में यह भी प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी द्वारा एक बार दिए गए विकल्प को बदलने या वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैरा 4 के उप पैरा (viii) में ऐसी योजना की स्वीकृति पर कर्मचारी के बकाया के निपटान का प्रावधान किया गया है। यह योजना 01 अगस्त, 2005 को समाप्त हो गई। प्रचलन या उसके तुरंत बाद भी इसका कोई विस्तार नहीं किया गया। उससे एक साल से अधिक समय के बाद, अर्थात् 12 अक्टूबर, 2006 को अपीलार्थी निगम ने उन लोगों को 28 अक्टूबर, 2006 तक विकल्प जमा करने का एक और अवसर दिया जिन्होंने पहले आवेदन जमा नहीं किए थे। हम पहले ही 12 अक्टूबर, 2006 के आदेश को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं। पहली बार में, यह एक धारणा दे सकता है कि 1 अगस्त, 2005 की प्रारंभिक तिथि को 28 अक्टूबर, 2006 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, ऊपर वर्णित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की थोड़ी अधिक बारीकी से जांच और विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह मूल योजना के विस्तार का मामला नहीं है। कारण सरल है और इस तथ्य में पाया जा सकता है कि 1 अगस्त 2005 और 12 अक्टूबर, 2006 के बीच एक बड़ा अंतराल/अंतराल था। इससे पहले की योजना 1 अगस्त, 2005 को समाप्त हो गई थी, स्वाभाविक रूप से कोई भी कर्मचारी योजना के तहत 1 अगस्त, 2005 के बाद

आवेदन जमा नहीं कर सकता था या जमा नहीं कर सकता था। 02 अगस्त, 2005 से 11 अक्टूबर, 2006 तक कोई वी. आर. एस. योजना लागू नहीं थी। 12 अक्टूबर, 2006 को ही बाकी कर्मचारियों को अपने आवेदन जमा करने का एक और अवसर दिया गया था और उस अवधि के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए इस तरह का आवेदन 12 अक्टूबर, 2006 से 28 अक्टूबर, 2006 तक जमा किया जा सकता था। यह छोटी सी खिड़की उन कर्मचारियों के लिए 17 दिनों की अवधि के लिए खोली गयी थी जिन्होंने अपने आवेदन जमा नहीं किए थे और उन्हें एक और मौका दिया गया था। साथ ही, इसका मुख्य कारण ऐसे और अधिक कर्मचारियों को वी. आर. एस. का विकल्प चुनने के लिए आकर्षित करना था क्योंकि निगम ने अपने कार्यों को बंद करने का फैसला किया था और चाहता था कि उसके कर्मचारी 'गोल्डन हैंडशेक' के साथ सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलें। इसलिए, निगम की प्रस्तुतियों में एक सहमति और तीक्ष्णता है कि इसे पिछली योजना के विस्तार के रूप में नहीं माना जा सकता है। वास्तव में, वी. आर. एस. योजना को फिर से घोषित करने के बजाय, एक विशेष खंड में संशोधन करके आसान तरीका खोजा गया था जिसमें कहा गया था कि 28 अक्टूबर, 2006 के बाद प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि 1 अगस्त, 2005 और 12 अक्टूबर, 2006 के बीच कई कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार किए गए थे और उनमें से कई को उनके अंतिम बकाया की पेशकश भी की गई थी। इस प्रकार, हम पाते हैं कि कर्मचारियों के दो अलग-अलग समूह हैं जिन्होंने वी. आर. एस. के लिए अपने आवेदन जमा किए थे। पहला समूह वह था जिसने 1 जुलाई, 2005 से 1 अगस्त, 2005 के बीच अपने विकल्प का प्रयोग किया। कर्मचारियों का दूसरा समूह वे हैं जिन्होंने 12 अक्टूबर, 2006 से 28 अक्टूबर, 2006 तक एक और मौका दिए जाने पर अपने विकल्प प्रस्तुत किए। इसे ध्यान में रखते हुए, जहां तक कर्मचारियों के पहले समूह का संबंध है, वे अपना

विकल्प, इसे स्वीकार किए जाने से पहले, 1 अगस्त, 2005 तक वापस ले सकते हैं और उसके बाद नहीं। इसी तरह, जिन लोगों ने दूसरे चरण में अपने विकल्प प्रस्तुत किए थे, वे 28 अक्टूबर, 2006 से पहले इसे वापस ले सकते थे। इन अपीलों में विभिन्न कर्मचारियों/उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की स्थित बताते हुए एक चार्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। यह चार्ट इंगित करता है कि पहले समूह से संबंधित कुछ कर्मचारियों ने 1 अगस्त, 2005 से पहले अपनी पेशकश वापस ले ली थी। उन्हें ऐसा करने का अधिकार था। वापस लेने के बाद उनके प्रस्ताव की स्वीकृति का कोई परिणाम नहीं होगा। हालाँकि, वे कर्मचारी जिन्होंने 1 अगस्त, 2005 के बाद अपने प्रस्ताव वापस ले लिए थे, वे ऐसा नहीं कर सके और इसलिए निगम को उनके प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार था। इसी तरह, दूसरी श्रेणी से संबंधित वे कर्मचारी जिन्होंने 28 अक्टूबर, 2006 से पहले अपने प्रस्ताव वापिस ले लिये थे, वे अपने प्रस्तावों को वापस लेने के हकदार थे क्योंकि उन्हें उस तारीख तक स्वीकार नहीं किया गया था। हालाँकि, 28 अक्टूबर, 2006 के बाद जब योजना बंद कर दी गई थी, तब निकासी का कोई परिणाम नहीं होगा।

24. जब हम उपरोक्त जांच को इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हैं तो हम पाते हैं कि जहाँ तक उन करमचारियों का सवाल है जो पहली श्रेणी में आते हैं, जिन्होने 1 अगस्त, 2005 के बाद अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया था, सिवाय एक श्री दिनेश चंद यादव के, जो 2010 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14874 से उत्पन्न सिविल अपील में प्रतिवादी संख्या 1 हैं। इसलिए, इस बैच से केवल वह ही पिछले वेतन के साथ बहाली का हकदार है, जैसा कि उन्होंने इस न्यायालय के दिनांकित 12 मई, 2016 आदेश के संदर्भ में इस प्रभाव से एक वचन पत्र भी दायर किया है, कि वह संबंधित अवधि के दौरान लाभकारी रूप से कार्यरत नहीं है। इसी तरह, दूसरी श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों ने 28 अक्टूबर, 2006 के बाद अपना प्रस्ताव

वापस ले लिया था, सिवाय श्री सुखराम और श्री राम शरण राठौर के, जो दोनों2010 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14594 सिविल अपील में प्रतिवादी थे। हालाँकि, ये प्रतिवादी 12 मई, 2016 के इस न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहे। इसलिए, वे बिना वेतन के बहाली के हकदार हैं।

25. तदनुसार, 2010 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14874 श्री दिनेश चंद यादव से उत्पन्न नागरिक अपील और 2010 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14594 से उत्पन्न सिविल अपील को खारिज किया जाता है। अन्य सभी उत्तरदाताओं के मामले में, योजना के कार्यकाल के बाद उनका निकासी आवेदन का कोई परिणाम नहीं होगा इन उत्तरदाताओं/कर्मचारियों को बहाल करने के उच्च न्यायालय का निर्देश, इसलिए, कानून के विपरीत पाया जाता है और एतद द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निगम की अन्य सभी अपीलों को अनुमति दी जाती है।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता बृजेश कुमार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।